संख्या-17/2016/वे0आ0-2-213/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2016

विषय- सहायक/जिला सेवायोजन अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक/जिला सेवायोजन अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-17/2016/वे0आ0-2-213(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वैतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य
(iii) श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग — सदस्य
(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित ऐजेन्डा के अनुसार सहायक/जिला सेवायोजन अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3— उक्त के सम्बन्ध में बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत अवगत कराया गया :—

(1) वेतन समिति (2008) द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर दिये गये निर्णय को विसंगतिपूर्ण बताते हुये सहायक/जिला सेवायोजन अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा यह मांग की गयी कि सहायक सेवायोजन अधिकारी **(पद संख्या 158)** के पदों पर भी जिला सेवायोजन अधिकारी के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया जाय। संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 02 अगस्त, 2015 पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। उक्त के कम में श्रम अनुभाग–5 की पत्रावली संख्या–4(5)/2015 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया है।

(2) वेतन समिति (2008) की दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के कार्मिकों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ दी गयी। उक्त संस्तुतियों में विभागीय सेवा संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :—

(अ) वेतन समिति (2008)की संवीक्षा

(i) उ0प्र0 सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली,

MSS Kanyasuta

1994 के अनुसार सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी वेतनमान रू0 2000–3200 (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित रू0 6500–10500) के 33 प्रतिशत पद पर लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाने तथा 67 प्रतिशत पदो पर स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था है। उक्त नियमावली में ज्येष्ठतम् सहायक सेवायोजन अधिकारी को समान वेतनमान के पद जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में पदनामित करने की व्यवस्था को समिति उचित नहीं पाती है। साथ ही लिपिकीय संवर्ग के पदों से सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था को भी समिति उचित नहीं पाती है।

(ii) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद वर्तमान में एक समान वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) में हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी (वेतनमान रू0 8000–13500) तथा उक्त पद हेतु पदोन्नति के पद रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी (वेतनमान रू0 8550–14600) के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक समान वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य है। उक्त स्थिति उपयुक्त नहीं है।

(iii) विभागीय संवर्ग में रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी (वेतनमान रू0 8550–14600) के उपरान्त अपर निदेशक वेतनमान रू0 14300–18300 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4, रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) का पद है। उक्त पदों के मध्य वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तथा वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) के स्तर उपलब्ध नहीं है।

(iv) पूर्व प्रस्तरों में इंगित स्थिति कार्मिक प्रबंधन के सामान्य ढ़ाँचें के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में सम्बन्धित पदों पर निर्धारित भर्ती की प्रकिया, वेतनमान तथा पदनाम में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में समिति का मत है कि :–

(क) सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी के पदों पर स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखना उपयुक्त होगा। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित करना उचित होगा।

(ख) विभाग के बढ़े हुए कार्यों को देखते हुए तथा जिला स्तरीय पद होने के आधार पर जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है।

(ग) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी का पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी रखा जाना उपयुक्त होगा।

(ड़) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पूर्व उप प्रस्तर–**(ख)** के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य होने की स्थिति में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी

MSS Kanpur.com

के पद, जो जिला सेवायोजन अधिकारी/ सहायक प्रवर्तन अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद है, पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) कराया जाना अपेक्षित होगा। तदनुसार उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान निर्धारित होने की स्थिति में पदनाम उप निदेशक रखना उपयुक्त होगा।

(त) पूर्व उप प्रस्तर–(ग) के अनुसार व्यवस्था करने की स्थिति में रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद, जो क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद है, पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500(पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) कराया जाना अपेक्षित होगा। तदनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान निर्धारित होने की स्थिति में पदनाम संयुक्त निदेशक रखना उपयुक्त होगा।

(ब) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियॉ

(i) सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी के पदों पर स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी/ सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(ii) जिला सेवायोजन अधिकारी/ सहायक प्रवर्तन

MSS Kanpur/Gola

अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(iii) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी का पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी रखा जाय।

(iv) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही पदनाम उप निदेशक रखा जाय।

(v) रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही पदनाम संयुक्त निदेशक रखा जाय।

(स) वेतन समिति (2008) की उक्त संस्तुतियों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :—

(i) सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी के पदों पर स्नातक अर्हताधारियों में से लोक सेवा आयोग के

MSS Karyavaha

माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(ii) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(iii) जिला सेवायोजन अधिकारी/सहायक प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी का पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी रखा जाय।

(iv) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) को यथावत् बनाये रखते हुए पदनाम सहायक निदेशक रखा जाय।

(v) रोजगार विकास अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रु0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही पदनाम उप निदेशक रखा जाय।

उपर्युक्त निर्णय से प्रमुख सचिव, श्रम को

MSS Kanyavrata

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1120 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0 दिनांक 05 अगस्त, 2011 द्वारा संसूचित किया गया।

(3) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये उपर्युक्त निर्णय को विसंगतिपूर्ण बताते हुए अध्यक्ष, सहायक / जिला सेवायोजन अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रत्यावेदन दिनांक 25 अगस्त, 2015 में सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 / – अनुमन्य कराने की माँग की गयी, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण मुख्य सचिव समिति में रखे जाने के आदेश दिये गये है। साथ ही श्रम दिवस के अवसर पर दिनांक 01 मई, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र दिनांक 05 मई,2015 में पत्रावली पर निम्न के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है :–

"सेवायोजन विभाग के सहायक सेवायोजन अधिकारी को ग्रेड वेतन रू0 4800 / – दिया जाये।"

(4) उक्त आदेश / निर्देश के क्रम में श्रम अनुभाग–5 की पत्रावली संख्या–4(5) / 2015 के माध्यम से सहायक सेवायोजन अधिकारियों को ग्रेड वेतन रू0 4800 / – दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त माँग / प्रस्ताव के पक्ष में निम्न विवरण उपलब्ध कराये गये है :–

(i) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छठे वेतन आयोग के पूर्व तक सहायक सेवायोजन अधिकारी का पद वेतनमान रू0 6500–10500 में था तथा उक्त पद उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी नियमावली, 1994 से आच्छादित था। इस नियमावली के अनुसार सहायक सेवायोजन अधिकारी एवं जिला सेवायोजन अधिकारी का पद एवं वेतनमान एक समान था तथा ज्येष्ठतम् सहायक सेवायोजन अधिकारी जिला सेवायोजन अधिकारी के रूप में पदाभिहित होता था (ज्ञातव्य हो कि रिट याचिका संख्या–6100 / 1982 सुश्री शशिबाला राय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सहायक सेवायोजन अधिकारी तथा

MSS Kanyavana

जिला सेवायोजन अधिकारी को समान कैडर एवं वेतनमान का पद माना है), किन्तु शासनादेश संख्या–1207/36–5–11–7(26)/ 2010, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सहायक सेवायोजन अधिकारी की पदस्थिति, वेतन एवं सेवा शर्तो में अलाभकारी परिवर्तन करते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी का पद सहायक सेवायोजन अधिकारी हेतु पदोन्नति का पद बना दिया गया और जिला सेवायोजन अधिकारी को ग्रेड वेतन रु0 4800/– तथा सेवायोजन अधिकारी को ग्रेड वेतन रु0 4600/– प्रदान किया गया।

(ii) सहायक सेवायोजन अधिकारी वेतनमान रु0 6500–10500 के समकक्ष वेतनमान में लोक सेवा आयोग से चयनित समूह "ख" के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों यथा– जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी सहायक अभियोजन अधिकारी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी इत्यादि को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में या तो वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रु0 5400/– या वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य किया जा चुका है। केवल सहायक सेवायोजन अधिकारी ही निम्नतर ग्रेड वेतन रु0 4600/– में रह गया है।

(iii) सेवायोजन विभाग में पूर्व में सहायक सेवायोजन अधिकारी के अधीन कार्यरत अन्वेषक–कम–संगणक जो वेतनमान रु0 5000–8000 में थे, को छठे वेतन आयोग द्वारा उच्चीकृत कर अपर सांख्यिकीय अधिकारी का पदनाम देते हुए सहायक सेवायोजन अधिकारी के समकक्ष ग्रेड वेतन रु0 4600/– प्रदान किया गया है। इसी प्रकार इस विभाग में तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत होकर प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले को भी ग्रेड वेतन रु0 4600/– प्रदान किया गया है। इस प्रकार सहायक सेवायोजन

MSS Karyavrata

अधिकारी के अधीन पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को इस पद के समकक्ष वेतनमान प्रदान किये जाने से एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और यह संवर्ग कुण्ठा, अपमान एवं निराशा का शिकार है।

(iv) वेतन पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान पुनरीक्षित ढॉचे में बिहार एवं झारखण्ड की भॉति जिला सेवायोजन अधिकारी को ग्रेड वेतन रू0 5400/— प्रदान किया जा सकता है।

(5) उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(i) प्रदेश के ऐसे जिला स्तरीय अधिकारी जो पूर्व वेतनमान रू0 6500—10500 में थे, को वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गए निर्णय के कम में वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/— अनुमन्य किया गया है। वेतनमान रू0 6500—10500 के केवल जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदों पर वेतन बैण्ड—3 रू0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/— अनुमन्य किया गया है।

(ii) उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन नियमावली, 1994 की व्यवस्थानुसार सहायक सेवायोजन अधिकारी तथा जिला सेवायोजन अधिकारी के पद समान वेतनमान रू0 6500—10500 में थे तथा ज्येष्ठतम् सहायक सेवायोजन अधिकारी को जिला सेवायोजन अधिकारी पदनामित किया जाता था। उक्त व्यवस्था से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जिला सेवायोजन अधिकारी का कार्य एवं उत्तरदायित्व निश्चित तौर पर सहायक सेवायोजन अधिकारी से गुरूत्तर था। इस कारण ही ज्येष्ठतम् सहायक सेवायोजन अधिकारी को जिला सेवायोजन अधिकारी पदनामित किया जाता था। गुरूत्तर उत्तरदायित्व को देखते हुए ही जिला सेवायोजन अधिकारी के पद को सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद के लिए पदोन्नति का पद बनाये जाने की व्यवस्था की गयी। साथ ही जिला स्तरीय

MSS Kanyavana

अधिकारी होने एवं उच्च कार्य/ उत्तरदायित्व के आधार पर जिला सेवायोजन के अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– दिये जाने की संस्तुति वेतन समिति द्वारा की गयी थी जो उचित थी।

इस प्रकार जिला स्तरीय अधिकारियों के सम्बन्ध में लिये गए निर्णय से सेवायोजन विभाग के जिला सेवायोजन अधिकारी भी लाभान्वित हुए हैं।

(iii) सहायक सेवायोजन अधिकारी का पद अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के अनुरुप नहीं है। अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जिनके वेतनमानों का उच्चीकरण किया गया है वे जिला स्तरीय अधिकारी होते हुए कार्यालयाध्यक्ष भी होते हैं। सहायक सेवायोजन अधिकारी का स्तर ऐसा नहीं है। इस तरह सहायक सेवायोजन अधिकारी अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के सम्बन्ध में लिये गए निर्णय से भिन्न हैं।

(iv) वेतन समिति (2008) द्वारा सम्बन्धित संस्तुतियॉ विभागीय सेवा के ढाँचें को कार्मिक प्रबन्धन के सामान्य ढॉचें के अनुरुप रखे जाने के दृष्टिगत की गयी। सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य किये जाने की स्थिति में सहायक सेवायोजन अधिकारी एवं जिला सेवायोजन अधिकारी पुनः एक स्तर पर आ जायेंगे, जबकि जिला सेवायोजन अधिकारी के गुरूतर उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे सहायक सेवायोजन अधिकारी से पदोन्नति का पद बनाया गया है।

(v) सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य किये जाने की स्थिति में सहायक सेवायोजन अधिकारी एवं जिला सेवायोजन अधिकारी पुनः एक स्तर पर आ जायेंगे, जबकि जिला सेवायोजन अधिकारी के गुरूतर उत्तरदायित्व का पद है।

समिति द्वारा की गयी संवीक्षा

4– उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की

HSS Kanpur

गयी संवीक्षा निम्नवत् है :—

(1) उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन नियमावली, 1994 की व्यवस्थानुसार सहायक सेवायोजन अधिकारी तथा जिला सेवायोजन अधिकारी के पद समान वेतनमान रु0 6500–10500 में थे तथा ज्येष्ठतम् सहायक सेवायोजन अधिकारी को जिला सेवायोजन अधिकारी पदनामित किया जाता था।

(2) उक्त व्यवस्था कार्मिक प्रबन्धन के सामान्य ढांचें के अनुरूप न होने दृष्टिगत वेतन समिति (2008) द्वारा जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर सहायक सेवायोजन अधिकारी से उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने की संस्तुति की गयी है। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी के गुरूतर उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे सहायक सेवायोजन अधिकारी से पदोन्नति का पद बनाया गया है।

(3) उक्त संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी) तथा जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– (परिवर्तित पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी) निर्धारित हुआ। साथ ही जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की गयी।

(4) मांग/प्रस्ताव के अनुसार सहायक सेवायोजन अधिकारी (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी) के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य किये जाने की स्थिति में सहायक सेवायोजन अधिकारी (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी) एवं जिला सेवायोजन अधिकारी(परिवर्तित पदनाम जिला रोजगार सहायता अधिकारी) पुनः एक स्तर पर आ जायेंगे,जबकि जिला रोजगार सहायता अधिकारी के गुरूतर उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी से पदोन्नति का पद बनाया गया है।

(5) सहायक सेवायोजन अधिकारी (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार अधिकारी) संवर्ग के लिये वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार

MSS Karyavrita

सहायक सेवायोजन अधिकारी(परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार॰अधिकारी) के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/— अनुमन्य कराये जाने की स्थिति में पोषक एवं पदोन्नति के पद समान ग्रेड वेतन में हो जायेंगे, जो विसंगतिपूर्ण स्थिति होगी।

(6) सहायक सेवायोजन अधिकारी (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार॰अधिकारी) के पदों पर मॉग/प्रस्ताव के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/— अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था को यथावत बनाये रखना उपयुक्त होगा।

समिति की संस्तुतियॉ

5— उक्त परिदृश्य में सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि सहायक सेवायोजन अधिकारी (परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार॰अधिकारी) के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/— अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाये।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य।

(अरूण कुमार सिन्हा)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2015।